

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-482 / 2013 / जोधपुर
2. अपील संख्या-483 / 2013 / जोधपुर
3. अपील संख्या-484 / 2013 / जोधपुर
4. अपील संख्या-485 / 2013 / जोधपुर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-सी, जोधपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स नेशनल मेटल्स,
बासनी, जोधपुर।

.....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उपराजकीय अभिभाषक
रोहित जैन,
अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से.

..... व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02.08.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा ये चारों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 03.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त सी, जोधपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 11.03.2011 के तहत केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत कर व ब्याज का आरोपण किया गया, जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र पेश करने पर उनके द्वारा आदेश दिनांक 02.05.2012 के द्वारा संशोधन पत्र को खारिज किये जाने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा निम्नानुसार कर एवं ब्याज को अपास्त किया गया।

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज
1.	482 / 2013	11 / आरवेट / जेयूसी / 2012-13	2008-09 (प्रथम तिमाही)	4,82,932	1,25,562
2.	483 / 2013	12 / आरवेट / जेयूसी / 2012-13	2008-09 (द्वितीय तिमाही)	35,302	9,178
3.	484 / 2013	13 / आरवेट / जेयूसी / 2012-13	2008-09 (तृतीय तिमाही)	16,636	3,161
4.	485 / 2013	14 / आरवेट / जेयूसी / 2012-13	2008-09 (चतुर्थ तिमाही)	30,856	-

2. चारों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

.....2.



3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी ने मैसर्स एच.सी.मेटल, मुम्बई द्वारा जारी सी-फॉर्म को बोगस मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2008-09 की चारों तिमाही के अलग-अलग कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.03.2011 को पारित कर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कर एवं ब्याज का आरोपण किया। इस संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष संशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा उस संशोधन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलों को स्वीकार कर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर आरोपित कर व ब्याज को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पेश किये गये सी-फॉर्म मुम्बई की फर्म मैसर्स एच.जी.मेटल मुम्बई द्वारा जारी किये गये थे, जो कि बोगस सी-फॉर्म थे, क्योंकि दिनांक 05.02.2010 को मुम्बई के बिक्री कर विभाग द्वारा मैसर्स एच.जी.मेटल का पंजीयन दिनांक 01.04.2006 से निरस्तीकरण कर दिया गया था। इस प्रकार मिथ्या व बोगस सी-फॉर्म के आधार पर की गई बिक्री पर पूर्ण कर दर से करारोपण किया जाना आवश्यक था। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष वैध सी-फॉर्म प्रस्तुत किये गये थे, जिसे सशक्त अधिकारी ने बोगस मानते हुए बोगस मानकर कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2008-09 के चारों तिमाही के सी-फॉर्म मैसर्स एच.जी.मेटल, मुम्बई द्वारा जारी किये गये थे, जो कि कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के समय एक पंजीकृत व्यवसायी था। परन्तु बाद में बिक्रीकर विभाग द्वारा दिनांक 05.02.2010 को मैसर्स एच.जी.मेटल का पंजीयन निरस्तीकरण दिनांक 01.04.2006 से कर दिया गया था। जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जब मैसर्स एच.जी.मेटल से संव्यवहार किया गया, तब वो एक पंजीकृत व्यवसायी था, और अपीलार्थी द्वारा एक पंजीकृत व्यवसायी के साथ ही व्यापार किया गया था। बिक्रीकर विभाग मुम्बई द्वारा मैसर्स एच.जी.मेटल के संव्यवहारों और अनियमितताओं की ओर ध्यान नहीं दिया, यह विभाग की एक भूल थी, एवं मैसर्स एच.जी.मेटल द्वारा अपनी लेखापुस्तकों को नियमित नहीं रखने पर शास्ति का आरोपण मैसर्स एच.जी.मेटल पर किया जाना चाहिए था, न कि प्रत्यर्थी व्यवहारी पर।

7. विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथन को जारी रखते हुए कहा कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल के बेचान के समय क्रेता एक पंजीकृत व्यवसायी था, एवं पंजीकृत व्यवसायी के साथ संव्यवहार किया जाना कोई गलत काग नहीं है। मैसर्स एच.जी.मेटल द्वारा विधिवत् रूप से सी-फॉर्म जारी किये थे, परन्तु उनकी अनियमितताओं के कारण बिक्रीकर विभाग, मुम्बई द्वारा पीछे की दिनांक से पंजीयन निरस्त किये जाने पर अन्य राज्य की फर्म को सजा दिया जाना पूर्णतः अनुचित कार्यवाही है। आगे उन्होंने अपीलीय अधिकारी के निर्णय का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।



8. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी ने मैसर्स एच.सी.मेटल, मुम्बई द्वारा जारी सी-फॉर्म को बोगस मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2008-09 की चारों तिमाही के अलग-अलग कर निर्धारण आदेश पारित किये। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स एच.सी.मेटल के साथ संव्यवहार किया उस समय तक वह एक पंजीकृत व्यवसायी था, परन्तु दिनांक 05.02.2010 तक पंजीकृत व्यवसायी था तथा बिक्रीकर विभाग मुम्बई के पंजीयन अधिकारी द्वारा दिनांक 05.02.2010 को दिनांक 01.04.2006 से पंजीकरण निरस्त करने का आदेश किया गया है, वह आदेश प्रत्यर्थी व्यवहारी के संव्यवहार को प्रभावित नहीं कर सकते। इस प्रकार किसी ओर के कृत्यों/करापवंचन के लिए राज्य की फर्म को दंडित किया जाना अन्यायपूर्ण निर्णय होगा।

9. घोषणा पत्र प्राप्त करने वाला व्यवसायी क्रेता व्यवसायियों की किसी करापवंचना से उनके पंजीयन निरस्त हो जाने की स्थिति में उस कालावधि में किये गये समस्त संव्यवहार पर दिये गये घोषणा पत्रों को विक्रेता के पक्ष में अमान्य नहीं किये जा सकते। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **State of Maharashtra vs Suresh Trading Company** निर्णय दिनांक 07.02.1996 में अवधारित किया गया है। इसी प्रकार अन्य माननीय न्यायालयों के निम्नलिखित निर्णयों में भी सी-फॉर्म की इसी अवधारणा को अवधारित किया गया है-

(A.) **Commissioner of Sales Tax, Delhi vs Shri Krishna Engg. Co., [2005] 26 NTN DX 380; (2005) 2 SCC 692,**

(B.) **Shanti Kiran India Pvt. Ltd. vs Commissioner Trade & Tax Department, [2013] 1 NTN DX (UNRP) 1; (2013) 57 VST 405 (Delhi),**

(C.) **State of Madras vs Radio Electrical Ltd. and Anr. 1966 (18) STC 222 (SC)**

(D.) **State of Orissa vs Santosh Kumar & Co. (1983) 054 STC 322**

10. उपरोक्त विवेचनानुसार माननीय न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

मदनलाल मालवीय
(सदस्य)

